

स्वायत्त शासन विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : ५८ (६) नि - उप) - १२१०(तप) । ४१११ दिनांक : ४/३/२०१६
नीलामी सूचना

नगर निगम, जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक रथलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ड्री), पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर, निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4' ड्राईएंग्यूलर साईनेज, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित बस शैल्टर्स, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनिपोल 20'X10' व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व निर्मित यूनिपोल विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु खुली नीलामी लाल कोठी, मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा न. 123 के बाहर की जायेगी।

नीलामी दिनांक 28.03.2016 से 31.03.2016 तक प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), मोती ढुंगरी, आमेर, हवामहल (पूर्व), मानसरोवर, विद्याधर नगर, सांगानेर, सिविल लाईन्स जोन पुलियाओं/आर.ओ.बी फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण एवं निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ड्री), ड्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर)	28.03.2016	कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- प्रति जोन एवं पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण 25,000/- रुपये प्रति ओवरहैड साईनेज (गैन्ड्री) प्रति 20,000/- रुपये ड्राईएंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000/- रुपये
2.	यूनिपोल - मोती ढुंगरी, सिविल लाईन एवं विद्याधर नगर जोन	29.03.2016	16'x8' साईज के यूनिपोल के 15000/- रुपये प्रति साईट व
3.	यूनिपोल - मानसरोवर, सांगानेर, आमेर एवं हवामहल जोन (पूर्व)	30.03.2016	30'x15' साईज के यूनिपोल के 25000/- रुपये प्रति साईट
4.	निर्मित बस शैल्टर्स, निर्मित 25 ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर(एक समूह), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8'X4' फुट (एक समूह) 24 निर्मित यूनिपोल 20'X10' वर्गफुट एवं उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईटे	31.03.2016	रुपये 20,000/-प्रति बस शैल्टर, ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए 20,000/- प्रति साईट, रुपये 15,000/- प्रति सुलभ शौचालय, रुपये 50,000/- लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), निर्मित यूनिपोल साईट 20'X10' रुपये 20,000/- प्रति एवं शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

नीलामी की शर्तें एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www.jaipur.mc.org or <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं कार्यालय समय में, कार्य दिवस को उपायुक्त (राजस्व) / राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स) से प्राप्त की जा सकती है।

उपायुक्त (राजस्व)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4'

पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की
लाईसेन्स की शर्त नीलामी वर्ष : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्त :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एकजाइ-एकमुश्त की जायेगी । निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एक वर्ष (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8'X4' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी । अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी । नीलामी एक वर्ष के लिए होगी । नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
2. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए पचास हजार रुपये बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे । उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी । असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जायेगी ।
3. नीलामी के पश्चात लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
4. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । इस प्रकार वर्ष (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेंगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी । इस अवधि के पश्चात यह माना जायेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवहान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा ।
7. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
8. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा ।
9. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जायेगा । इससे भिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्ण सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा ।
10. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जायेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर उबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।

12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, फिल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तुकान आदि की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घट्टे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट रथल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार रखयं के खर्च पर करना होगा ।
25. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
26. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
27. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
28. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकरूपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई 7 फुट होगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर


(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-


1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी पृथक—पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जायेगी।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन—पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे—खर्च पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. निगम द्वारा लाईसेंसी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेंसी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जायेगा एवं इन्हें लाईसेंसी द्वारा तुरंत हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेंस अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन

- किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा । निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी ।
11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा । लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा । शौचालयों की सुविधाओं को दुरस्त हालत में रखना होगा । कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी । अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्ता की जा सकेगी ।
 12. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जौन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा ।
 14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा । निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा ।
 15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारे, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी । सफाई के लिए फ्नाईल, नेफ्थीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी । उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा । शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा । शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा ।
 16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा ।
 17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेचू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
 18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
 19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानान्तरित नहीं करेगा ।
 20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा ।
 21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
 22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा ।
 23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
 24. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी ।
 25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजरथान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
 26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
 27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
 28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।


लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर

jk



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जगा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर द्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्ण नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी दिये जाने के पश्चात द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की रिस्ति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की रिस्ति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा लाईसेन्सधारी फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे गिनने रूप से लगाये गये द्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

March 2016 Auction file/2016 March Aunction ki Sharte New

59


उपायुक्त (राज्यपाल)
नगर निगम जयपुर

४२

12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखावा) किया जावेगा।
13. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर रप्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें रूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी। अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली रवीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उराका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनलटी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्वान् गू—राजरव अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में रांशेधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व राइट रथल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिप्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के रामबन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर रिथ्ट सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेन्स की शर्तों के रामबन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो भान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

८८



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स
की शर्तें नीलामी : मार्च 2016


नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

- जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक्-पृथक् साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
- निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक / डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
- साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
- कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्ण सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्रवाही में यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से '16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं '30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखावा) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षर्ति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट रथल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिश्ति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीरा शेष रहे रामय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्रवाई की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)

५२ नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-


1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापि कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रुप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक औथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित गूनिपोल गिरने से अथवा किसी पुर्धटना या लिए राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
11. $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
13. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
14. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
15. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
16. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
18. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट रथल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
19. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
21. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ($20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
22. लाईसेंस समाप्ति पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निररत किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर

१२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईंनेज की शर्तें

नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईंनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षर (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईंनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईंनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईंनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईंनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईंनेज पर लगे दिशा सूचक साईंनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईंनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्ज-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवरहैड साईंनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. ओवर हैड साईंनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईंनेज पर किसी प्रकार

का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा । ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा । ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी ।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा । इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा ।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी ।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी ।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा ।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा ।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१८



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

7

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : मार्च 2016

- नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—
1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
 2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाई की जावेगी।
 4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
 5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
 6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'x3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
 7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
 8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग—रोगन व चित्रकारी आदि लाइसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाइसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
 9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख—रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तोंनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
 10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन—पट्ट को लाइसेंसी के हर्जे—खर्चे पर हटवा देंगे।
 11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं

निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़-पौधे सही तरीके से हरे-भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही रखयं की हर्जे पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग-रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा घेनलटी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
19. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

१२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. बसशैल्टर्स की नीलामी रोड वाईज (एक समूह में) सूची अनुसार की जायेगी। विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति बसशैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा-खर्चा लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. लाईसेंस अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। बस शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना

- होगा। शैल्टर्स का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति तक लाईसेंसी को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाईसेंसी द्वारा किये जाने पर, जमा अमानता राशि लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
 11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेंसी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
 13. 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
 14. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फौस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 22. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
 23. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

४८२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

१

ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर 25 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
4. 25 साइटों के समूह के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् राइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का नवीनीकरण (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट / चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की रिथति में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीचे नहीं गिरे। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
11. लाईसेन्स अवधि में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
13. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
14. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
15. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
16. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
18. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य रिथति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
19. यदि किसी चायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिथति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
21. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
22. लाईसेंस समाप्ति पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम च्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर

८१२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : मार्च 2016

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्त निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञापन के अनुसार की जावेगी।

1. लाईसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती।
2. क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक्-पृथक् होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकता। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

आमेर जोन :-

जोशवर सिंह गेट से आमेर रोड कुण्डा बाईपास तक एवं जलमहल चौराहे से पुरानी चूंगी तिराहे, बन्ध की घाटी होते हुए, दिल्ली बाईपास रोड कुण्डा तक का भाग शामिल है।

हवामहल जोन (पूर्व) :-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूंगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

विद्याधर नगर जोन:-

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ोदिया बस्ती झोटावाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटावाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाड़ी क्षेत्र शामिल है।

सिविल लाईन जोन:-

अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर सवाई रामसिंह रोड टोक रोड, गोपालपुरा रोड चौराहे तक का भाग छोड़ते हुए इसका पश्चिम का भाग जिसमें सी-स्कीम, भवानीसिंह रोड, लालकोठी योजना, बाईस गोदाम सहकार मार्ग, सिविल लाईन का क्षेत्र जिसमें एम.आई रोड, संसार चन्द्र रोड, सरदार पटेल मार्ग अजमेरी गेट रोड शामिल है, चांदपोल गेट के बाहर पश्चिम की ओर स्टेशन रोड को छोड़ते हुए स्टेशन तक दक्षिण का भाग रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर, जाने वाली रेलवे लाईन पर निगम सीमा तक इसके दक्षिण का भाग जिसमें सोडाला, खातीपुरा वैशाली, हसनपुरा का क्षेत्र शामिल है। अजमेर मैन रोड शामिल है (सोडाला तिराहा न्यू सांगानेर रोड से किंस रोड तक का दक्षिणी भाग शामिल नहीं है)।

मोतीझुंगरी जोन:-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम.आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग/घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीझुंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल हैं, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टॉक रोड टॉक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टॉक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

सांगानेर जोन:-

न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) की रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए समस्त सांगानेर क्षेत्र एवं टॉक रोड, तारों की कूट, ई.पी. चौराहे से दक्षिणी भाग से नगर निगम सीमा तक का एरिया एवं जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग जिसमें मालवीय नगर डी-ब्लॉक, जगतपुरा पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया शामिल है।

मानसरोवर जोन:-

टॉक रोड तारों की कूट ई.पी. चौराहे का उत्तरी भाग से जवाहर सर्किल होते हुए मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) से टॉक फाटक पुलिया (आर.ओ.बी.) तक रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग टॉक रोड होते हुये गोपालपुरा बाईपास रोड धर्मकांटा तिराहे तक एवं न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) तक मानसरोवर का समस्त एरिया एवं दुर्गपुरा का समस्त एरिया शामिल है उक्त के अलावा वसुन्धरा कॉलोनी का एरिया एवं अजमेर रोड (मैन रोड को छोड़ते हुए) न्यू सांगानेर सोडाला तिराहे से किंस रोड को शामिल करते हुए गोपालपुरा बाईपास तक का दक्षिणी भाग का समस्त एरिया एवं वार्ड नं. 29 की दक्षिणी सीमा तक भी शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकें।

- (क) सर्किल के चारों ओर एंव बीच में लगे खम्बों पर।
- (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे. एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।

04. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे-खर्चे के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा किलप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकें। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे भी लंबवत लगाने होंगे।

06. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विधुत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।

07. जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगावा सकेगा वहाँ यदि सड़कों के बाये और बाये ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.

- टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. खम्बों पर कियोस्क सड़क/ डिवाईडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाइसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुशोध रखेगा। तथा निगम की उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भड़कीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा-खर्च लाइसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं विपकाया जावेगा ना ही कोई झाड़े बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगों प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झांडे बैनर पतंग आदि लग जाये तो उसे लाइसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।
 9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाइसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तराधित्व नहीं होगा।
 10. लाइसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
 11. कियोस्क लाइसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होगे तथा लाइसेन्सी की सम्पति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाइसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्च लाइसेन्सी से अमानता में से वसूल जावेगा।
 12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 100000/- अक्षरे (एक लाख रूपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
 13. 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
 14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाइसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
 15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
 17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाइसेन्सी को मान्य होगा।
 18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाइसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुर्नभरण) नहीं किया जायेगा एवं लाइसेंसधारी फर्म की नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाइसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाइसेंस अमान्य होगा।
 22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
 23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर निगम निरस्त किया जायेगा।
 25. लाइसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निण्डा नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

४८

यूनिपोल साईट
मोतीझुंगरी जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची


1	MDZ-02	16x8	टॉक रोड, अशोक मार्ग, स्लीप लाईन पर, एम.जी. डी. स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
2	MDZ-05	16x8	टॉक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर स्लीप लाईन पर, वि.प.न. 2	
3	MDZ-06	16x8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये	
4	MDZ-10	16x8	टॉक रोड, सूचना केन्द्र के सामने, आरोग्य मार्ग के, उत्तरी कोने पर, फुटपाथ पर समानान्तर	
5	MDZ-14	16x8	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानान्तर वि.प.न.1	
6	MDZ-16	16x8	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानान्तर वि.प.न.3	
7	MDZ- 18	16x8	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, अजमेरी गेट की ओर बने पुलिस बूथ के पास समानान्तर।	
8	MDZ-19	16x8	टॉक रोड, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, सवाई मानसिंह पिंडालय के सामने, दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानान्तर	
9	MDZ- 25	16x8	टॉक रोड, रामबाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानान्तर	
10	MDZ- 31	16x8	टॉक रोड,, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाज़द़ीवाल के सहारे	
11	MDZ-33	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न. 2	
12	MDZ- 41	16x8	शांति पथ, तिलक नगर, विरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
13	MDZ- 42	16x8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
14	MDZ- 43	16x8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानान्तर	
15	MDZ-46	16x8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
16	MDZ-48	16x8	मोतीझुंगरी रोड पर धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्व कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे।	
17	MDZ- 55	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
18	MDZ- 56	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर ।	
19	MDZ- 57	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर	

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

1

 उपायुक्त (प्रभाग)
 नगर परिवहन बोर्ड

४२

20	MDZ- 58	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटी.एस. चौराहे के पास, उपरोक्त के सामने, एम.एन.आई.टी. की दीवार के समानान्तर	
21	MDZ-59	16x8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1	
22	MDZ-66	16x8	एम.आई.रोड़ सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर	
23	MDZ-71	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास, एम.एन.आई.टी देखते हुये	
24	MDZ- 73	16x8	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास गांधीनगर स्टेशन रोड़ पर, सरस पार्लर के सामने, रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	
25	MDZ- 75	30X15	बजाज नगर ऐनकलेवा स्कीम के सामने,, रेलवे क्वार्टर के बाहर, रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	
26	MDZ- 77	30X15	गांधीनगर स्टेशन रोड़, आरओबी से पश्चिम की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, हाजरी गाह के सामने	
27	MDZ- 78	16x8	जवाहर नगर, सेक्टर 7 के पास बने, सुलभ शौचालय के बाहर, कोने पर फुटपाथ पर	
28	MDZ- 80	16x8	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, आरओबी से पहले, वनविभाग की दीवार के पास बने फुटपाथ पर, आरओबी देखते हुये	
29	MDZ- 85	30X15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास।	
30	MDZ- 88	16x8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड़ जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड़ की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
31	MDZ- 89	16x8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड़ जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड़ की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
32	MDZ- 90	16x8	झालाना ढूंगरी महात्मा गांधी मार्ग पर अरण्य-भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर	New


 उपायुक्त (पालदास)
 नगर निगम ज.नगर

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	VDZ-03	16X8	झोटवाड़ा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर	
2	VDZ-07	16X8	झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 1	
3	VDZ-08	16X8	झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2	
4	VDZ-10	16X8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये	
5	VDZ-11	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
6	VDZ- 14	16X8	विद्याधर नगर, सिने स्टार चौराहा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर।	
7	VDZ- 15	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
8	VDZ- 16	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 2	
9	VDZ- 20	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।	
10	VDZ- 21	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
11	VDZ- 23	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
12	VDZ- 27	16X8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर	
13	VDZ- 39	16X8	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी की ओर कोने पर।	
14	VDZ- 41	16X8	कलेक्ट्री रार्किल पर कबीर मार्ग के कोने पर, साईट सं. VDZ 44 के पास जयसिंह हाईवे रोड की ओर।	

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016

उपायुक्त (राजत्रव)
नगर निगम जयसुर
ग्रा.

15	VDZ-43	16x8	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर, शिव मार्ग की ओर	
16	VDZ- 47	16x8	झोटवाडा रोड चांदपोल शमसान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुये।	
17	VDZ- 54	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्फ स्कूल के दक्षिणी-पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेड़ा के सामने।	
18	VDZ- 57	30x15	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कावंटिया सर्किल देखते हुये	
19	VDZ- 58	30x15	चिंकारा कैंटिन के सामने साईट सं. 45 के पास चिंकारा कैंटीन की ओर सर्किल देखते हुये	
20	VDZ- 59	30x15	कलेक्ट्री रार्किल अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर	
21	VDZ-60	30x15	खातीपुरा रोड, आरओबी के दक्षिणी-पश्चिमी ओर रॉयल कॉलोनाइजर की दीवार के पास।	New


 उपायुक्त (संसदीय)
 नगर निगम जयपुर
 मेर

यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	CLZ- 05	16x8	टोक रोड सवाई मानसिंह स्टेडियम के गेट के उत्तरी कोने पर स्टेडियम की रेलिंग के सहारे।	
2	CLZ- 53	16x8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल पर बने शोपिंग से. की ओर डेयरी के पास सर्किल देखते हुये	
3	CLZ- 60	16x8	वैशाली नगर क्वींस रोड, आम्रपाली तिराहे पर, मिलकट्री की दीवार के सहारे।	
4	CLZ- 90	16x8	टोक रोड फल मण्डी रोड, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
5	CLZ- 91	16x8	संसार चंद रोड, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के रागानांतर	
6	CLZ-100	30x15	टोक रोड, आरओबी के पास, टोक फाटक जाने वाले रास्ते पर ट्रांसफार्मर के पास गोयल ज्वैलर्स के सामने	
7	CLZ-107	30x15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने फुटपाथ पर हसनपुरा देखते हुये।	New
8	CLZ-108	30x15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने राजपूताना होटल देखते हुये।	New
9	CLZ-109	30x15	बाईस गोदाग आरओबी परिवहन मार्ग पर आरओबी के पास, साईट संख्या CLZ-102 के उत्तरी ओर फुटपाथ पर।	New

उपायुक्त (रजस्व)
नगर निगम बिधुर

१८

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	MSZ-03	16x8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
2	MSZ-04	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.1।	
3	MSZ-05	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.2।	
4	MSZ-07	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
6	MSZ-10	16x8	मानसरोवर अग्रवाल फार्म एस.एफ.एस. चौराहे पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
7	MSZ-11	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ महारानी फार्म जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी स्लीप लाईन के पास ही वि.प.नं. 2।	
8	MSZ-12	16x8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
9	MSZ-13	16x8	मानसरोवर महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउद्धीवाल के सहारे समानान्तर मानसरोवर देखते हुये	
10	MSZ-25	16x8	गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये	
11	MSZ-34	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
12	MSZ-36	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा रोड देखते हुये समानान्तर वि.प.न.3।	
13	MSZ-54	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	

D: February unipole sites ki suchi/update suchi February unipole Sites 2016

उपायुक्त (इमरण)
नगर नियम जयपुर

यूनिपोल साईट आमेर जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	AMZ-01	16x8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2	AMZ-02	16x8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न. 2	
3	AMZ-03	16x8	आमेर होटल के के.रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास।	
4	AMZ-04	16x8	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति विलनिक के पास पूर्व की ओर बने फायर स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
5	AMZ-08	16x8	आमेर रोड, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये।	
6	AMZ-09	16x8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
7	AMZ-17	16x8	आमेर रोड, कुण्डा, ज्योति विलनिक के पास।	

[Signature]

यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	SNZ-42	16x8	टॉक रोड, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.न.1	
2	SNZ-44	16x8	टॉक रोड, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.न.1	
3	SNZ-54	16x8	टॉक रोड, प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग के चौराहे पर पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखते हुये	
4	SNZ-58	30x15	सांगानेर रोड, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास	
5	SNZ-59	30x15	टॉक रोड, सीतापुरा आरोबी के पास पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ	

उपायुक्त (राजस्व)
मगर निगम जयपुर

१८

7

यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जौन मार्च 2016 की नीलामी सूची

1	HMZ(E)-8	16x8	दिल्ली रोड बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 4	
---	----------	------	---	--


उपायुक्त (रामेश)
मगर निगम जिला

१८



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर)
की नीलामी सूची, मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिडला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।

उपायुक्त (राजा चंद्र)
नगर निगम जयपुर
५८

कार्यालय नगर निगम जयपुर



निर्मित सुलभ शौचालयों की नीलामी सूची
मार्च 2016

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सर्किल
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
6.	गोपालपुरा बाईपास

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
४२



कार्यालय नगर निगम जयपुर
24 निर्मित यूनिपोल "20x10" की नीलामी सूची
मार्च 2016

क्र. सं.	स्थान
1.	बिरला मन्दिर के पीछे
2.	जवाहर सर्किल
3.	बांगड़ अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
4.	जे.के.लोन अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
5.	मोतीझुंगरी सर्किल
6.	एयरपोर्ट टर्मिनल - 2
7.	सूचना केन्द्र, टोंक रोड़
8.	स्टेट हैंगर
9.	सांगानेरी गेट
10.	टी-पॉइन्ट, ट्रांसपोर्ट नगर
11.	सांगानेर रोड़, रिद्धी सिद्धी के पास, त्रिवेणी नगर
12.	वर्ल्ड ट्रेड के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
13.	नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर
14.	200 फुट बाईपास, डी.सी.एम. अजमेर रोड़
15.	अजमेरी गेट
16.	आमेर कुण्डा
17.	जलमहल
18.	अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़
19.	गवर्नर हॉस्टल
20.	पानी पेच
21.	अजमेर फ्लाईओवर, जलमहल सर्किल
22.	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर
23.	रामगढ़ मोड़
24.	बी-2 बाईपास

उपायुक्त (राज एव.)
 नगर निगम जयपुर

५२



11

कार्यालय नगर निगम जयपुर

ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री)

मार्च 2016 की नीलामी सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	क्वीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।
2.	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।
3.	खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा पुलिया के पास।
4.	गोपालपुरा बाईपास रोड पर आतिश मार्केट के पास।
5.	सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के सामने
6.	सीकर रोड, मुरलीपुरा स्कूल के सामने
7.	सीकर रोड, वी.के.आई. रोड नं. 1 सोनी हॉस्पिटल के पास
8.	सीकर रोड वी.के.आई. रोड नम्बर 8, शर्मा ढाबा के पास
9.	सीकर रोड, अलका सिनेमा के पास।
10.	क्वीन्स रोड, प्रिसं रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।
11.	क्वीन्स रोड आमप्राली जंक्शन।
12.	क्वीन्स रोड, गांधी पथ जंक्शन।
13.	क्वीन्स रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।
14.	कलेक्ट्रेट रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।
15.	कलेक्ट्रेट रोड, खासाकोठी सर्किल के पास।
16.	एम.आई. रोड, गोवर्मेन्ट हॉस्टल के सामने।
17.	अजमेर रोड, क्वीन्स रोड जंक्शन।
18.	गोपालपुरा फ्लाईओवर के पास
19.	रिद्धी-सिद्धी जंक्शन के पास
20.	गोपालपुरा बाईपास, नियर महेश नगर पुलिस थाना
21.	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास
22.	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

D: Febuary unipole sites ki suchi/update suchi Febuary unipole Sites 2016



पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलो) पर विज्ञापन एवं संधारण
की नीलामी सूची, मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जगतपुरा ROB
2.	सीतापुरा पुलिया ROB
3.	मानसरोवर पुलिया ROB
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB
5.	मालवीय नगर ROB
6.	भारकर पुलिया ROB
7.	सांगानेर फ्लाईओवर
8.	दुर्गापुरा ROB
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB
10.	टोंक रोड गोपालपुरा मोड फ्लाईओवर
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB
12.	अजमेर रोड पुलिया ROB
13.	खातीपुरा पुलिया ROB
14.	हसनपुरा पुलिया ROB
15.	खासाकोठी फ्लाईओवर ROB

उपायुक्त (संस्था)
नगर निगम ज़िले पुर

१२



कार्यालय नगर निगम जयपुर

निर्मित बैकलिट टॉवर (6 मीटर) की नीलामी सूची मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर सर्किल
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-ओ.टी.एस सर्किल
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर कला केंद्र
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गोरख टॉवर
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गणेश मंदिर चौराहा
6.	भवानी सिंह मार्ग-एस.एम.एस स्टेडियम के बाहर
7.	सरदार पटेल मार्ग- रॉक रेस्टोरेंट के सामने
8.	सरदार पटेल मार्ग- बी.जे.पी कार्यालय के पास
9.	सरदार पटेल मार्ग- बीन्स रेस्टोरेंट के सामने
10.	सरदार पटेल मार्ग- चौमू हाउस सर्किल के पास
11.	सरदार पटेल मार्ग- बी.एस.एन.एल ऑफिस के पास
12.	एयरपोर्ट सर्किल प्लाईओवर के बाहर
13.	एयरपोर्ट सर्किल प्लाईओवर के पहले
14.	गोवर्णेट प्रेस सर्किल, अशोक मार्ग कार्नर
15.	गोवर्णेट हॉस्टल सर्किल, एम.आई.रोड
16.	आमेर रोड कुंडा तिराहा
17.	आमेर रोड जलमहल के सामने
18.	हवा सड़क गोजगढ़ टॉवर के पास
19.	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच
20.	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच
21.	क्वींस रोड गांधी पथ
22.	विधाधर नगर सेन्ट्रल स्पाइन, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने
23.	विधाधर नगर सेन्ट्रल, टाइम स्क्वायर के सामने
24.	ई.पी. के सामने
25.	ई.पी. के बाहर

उपायुक्त (राजस्व)

मंगर निगम जयपुर

३१५



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)
की नीलामी सूची, मार्च 2016

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	मोतीदूँगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	आमेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
4	सांगानेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
5	मानसरोवर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
6	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
7	सिविल लाईन जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र

उपायुक्त संचालक
नगर निगम जयपुर

८२



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स सूची

नीलामी मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
	सहकार मार्ग
1	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा।
2	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।
3	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर।
4	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।
5	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।
6	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर।
7	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।

निर्मित बस शैल्टर्स सूची नीलामी मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण
	गोपालपुरा बाईपास
1	गोपालपुरा बाईपास रोड, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)।
2	गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।
3	गोपालपुरा बाईपास रोड, सुभम् मार्बल 10-बी, रकीम के सामने।
4	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी सर्किल।
5	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी के दायी तरफ (केशव विहार)।
6	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने।
7	न्यू आतिश मार्केट, प्रथम गेट के पास नाले के नुकड़ पर, फुटपाथ पर।
8	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)।

उपायुक्त (प्रमन्तर)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स सूची नीलामी मार्च 2016

क्र.सं.	स्थान का विवरण क्वींस रोड़
1	अजमेर रोड़, क्वींस रोड़ जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
2	अजमेर रोड़, क्वींस रोड़ जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लाट नं. 35 के सामने मिलेकट्री की दीवार के समानान्तर।
3	क्वींस रोड़, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)।
4	क्वींस रोड़, प्रिंस रोड़ जंक्शन पूर्व की ओर।
5	क्वींस रोड़, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर।
6	क्वींस रोड़, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)।
7	क्वींस रोड़, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
8	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर।
9	क्वींस रोड़, राठोड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)।
10	क्वींस रोड़, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट।
11	क्वींस रोड़, सिरसी रोड़ जंक्शन पश्चिम की ओर।

उपायुक्त
नगर निगम जयपुर

०१८



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट
मार्च 2016 की नीलामी सूची

क्र. सं.	साइट नं.	साइट का स्थान		
1.	CLZ-01	टोक रोड, नेहरू पैलेस के कोने पर फल मण्डी की ओर।		
2.	CLZ-02	पंकज सिंधवी मार्ग, टोक रोड।		
3.	CLZ-03	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. गेट नं.-2 के बाहर।		
4.	CLZ-04	सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाऊस सर्किल पी.एच.ई.डी. की दीवार के पास।		
5.	CLZ-05	संसार चन्द्र रोड, गवर्नमेन्ट हॉस्टल चौराहा, होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की दीवार के पास।		
6.	CLZ-06	संसार चन्द्र रोड, आनन्द भवन के सामने, एम.एल.ए. क्वाटर की दीवार के पास।		
7.	CLZ-07	संसार चन्द्र रोड।		
8.	CLZ-08	एम.आई. रोड आकाशवाणी की दीवार के पास।		
9.	CLZ-09	तिलक मार्ग के कॉनर पर।		
10.	CLZ-10	अजमेर रोड सोडाला, हटवाडा रोड, चार नम्बर डिस्पेंसरी की दीवार के पास।		
11.	CLZ-11	अजमेर रोड, सोडाला, जमना डेयरी के पास।		
12.	CLZ-12	कींस रोड जाने वाले रास्ते के कोने पर।		
13.	CLZ-13	हवा सड़क सिविल लाईन रोड के पास कोने पर दीवार के पास।		
14.	HMZ (E)-14	आगरा रोड, कब्रिस्तान की दीवार के पास।		
15.	HMZ (E)-15	ट्रॉफोर्ट नगर चौराहा।		
16.	HMZ (E)-16	अशोक मार्ग पर।		
17.	HMZ (E)-17	सरदार पटेल मार्ग।		
18.	HMZ (E)-18	रामगढ़ मोड, आमेर रोड तिराहे पर उत्तरी-पश्चिमी दीवार के पास।		
19.	HMZ (W)-19	आमेर रोड, परसराम द्वार की दीवार के पास।		
20.	HMZ (W)-20	आमेर, मावठा चौक, जीप स्टेण्ड के पीछे दीवार के पास।		
21.	HMZ (W)-21	आमेर, गाँधी चौक, रा.उ.प्रा. स्कूल के पास।		
22.	SNZ-22	गोपालपुरा बाईपास पुलिया के पास।		
23.	SNZ-23	गोपालपुरा बाईपास, गुर्जर की थड़ी चौराहे।		
24.	SNZ-24	गोपालपुरा बाईपास रोड, गोपालपुरा के पास।		
25.	SNZ-25	टोक रोड, तारों की कूट, पेट्रोल पम्प के सामने।		
26.	SNZ-26	एयरपोर्ट के पास।		
27.	SNZ-27	एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल के पास।		

28.	SNZ-28	मानसरोवर मध्यम मार्ग।		
29.	MDZ-29	यादगार के रामने आर.एस.ई.बी. की दीवार के पास।		
30.	MDZ-30	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा।		
31.	MDZ-31	टॉक रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के पास।		
32.	MDZ-32	एम.आई. रोड साँगनेरी गेट, महिला चिकित्सालय के गेट के पास, रामनिवास बाग की रेलिंग के पास।		
33.	MDZ-33	गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी रोड के कोने पर।		
34.	MDZ-34	भवानी सिंह रोड, सुबोध स्कूल की दीवार के पास समानान्तर।		
35.	MDZ-35	गाँधीनगर के पास।		
36.	MDZ-36	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर कैंसर अस्पताल की दीवार के पास।		
37.	MDZ-37	मालवीय नगर।		
38.	MDZ-38	बापू नगर, जनता स्टोर।		
39.	VDZ-39	झोटवाडा रोड चौदपोल शमशान की दीवार के पास।		
40.	VDZ-40	झोटवाडा रोड, चमत्कारेश्वर मंदिर, दुध मण्डी के पास।		
41.	VDZ-41	झोटवाडा रोड, पानीपेच वाटर वर्क्स स्कूल की दीवार के पास।		
42.	VDZ-42	जयसिंह हाईवे रोड, कलेकट्री सर्किल, कबीर मार्ग की ओर यूरेनियल के पास।		
43.	VDZ-43	जयसिंह हाईवे बनीपार्क फायर स्टेशन की दीवार के पास।		
44.	VDZ-44	स्टेशन रोड।		
45.	VDZ-45	कलेकट्री सर्किल अशोका होटल की दीवार के पास।		
46.	VDZ-46	सीकर रोड, चौमू रोड तिराहा, मिलिट्री की दीवार के पास।		
47.	VDZ-47	सीकर रोड, सोनी अस्पताल की दीवार के पास।		
48.	VDZ-48	झोटवाडा रोड, पुलिया के पास।		
49.	VDZ-49	झोटवाडा रोड, मॉल के सामने।		
50.	VDZ-50	शास्त्री नगर कांवटिया अस्पताल के गेट के पास।		


 उपायुक्त (सचिव)
 नगर निगम उत्तराखण्ड